विविध बैंक प्रकरण सं. 24/2019 (RCMS 2019/00041) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर बनाम 1 सुनीता देवी पत्नी श्री सज्जन कुमार 2. श्री सज्जन कुमार पुत्र श्री तुलसी राम निवासी दुकान नं. 291, पावर हाऊस रोड श्रीगंगानगर एवं मकानं न. 88–बी, जाखड कॉलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री गुरूचरण सिंह आज उपस्थित नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.01.2019 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सुनीता देवी एवं सज्जन कुमार** को 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 22.08.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनीता देवी की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 291 (क्षेत्रफल 104.58 वर्गफ़ीट) पावर हाउस रोड़ श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 19.07.2018 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी सुनीता देवी की रसीद पर स्वयं के हस्ताक्षर है तथा अप्रार्थी सज्जन कुमार की रसीद पर भी सुनीता देवी के ही हस्ताक्षर है जिससे अप्रार्थी सज्जन कुमार को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना प्रतीत नहीं होता है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 291 (क्षेत्रफल 104.58 वर्गफीट) पावर हाउस रोड़ श्रीगंगानगर **जो ऋणी सुनीता देवी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है,** का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.07.2018 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के संलग्न पोस्ट ऑफिस की रसीद के अनुसार दिनांक 19.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण सुनीता देवी एवं सज्जन कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.07.2018 को जारी किये गये है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति रसीद पर अप्रार्थी सुनीता देवी के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा अप्रार्थी सज्जन कुमार की रसीद पर भी सुनीता देवी के ही

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सज्जन कुमार को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है। इसलिए प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की पुनः विधिवत् तामील करवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर